P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-7* October- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति उनके अभिभावकों की अभिवृति का अध्ययन

रवि
शोधार्थी
शिक्षा विभाग,
बिड़ला परिसर,
हेमवती नन्दन बहुगुणा
गढ़वाल (केन्द्रीय)
विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

अनिल कुमार नौटियाल
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग,
बिड़ला परिसर,
हेमवती नन्दन बहुगुणा
गढ़वाल (केन्द्रीय)
विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

सारांश

शिक्षा में समता और समानता प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जनपद के कालसी तथा चकराता ब्लॉक का चुनाव किया गया। प्रस्तुत अध्ययन आदर्शमूलक सर्वेक्षण विधि (Survey Method) से किया गया तथा न्यादर्श के रूप में 50 अभिभावकों का चुनाव उद्देश्यपूर्ण विधि (Purposive Sampling) से किया गया। अध्ययन में उपकरण के रूप में स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए सांख्यिकी के रूप में मध्यमान (Mean), मानक विचलन (SD) एवं टी–टैस्ट (T-test) का प्रयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति पुरूष तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति आयाम नामांकन को छोड़कर समान पायी गयी, आयाम नामांकन के संदर्भ में महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति पुरूष अभिभावकों की तुलना में ज्यादा सकारात्मक पायी गयी। जाति के आधार पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावकों की अभिवृत्ति बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में समान पायी गयी।

मुख्य शब्द : शिक्षा का अधिकार, बालिकाओं की शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति की बालिकाएँ, अभिभावकों की अभिवृत्ति।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी सभ्य राष्ट्र की प्रथम आवश्यकता होती है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र, समाज एवं व्यक्ति की प्रगति सम्भव है इसके अभाव में राष्ट्र के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिल चुकी है। दरअसल, होना तो यह चाहिए था कि शिक्षा के अधिकार के साथ–साथ शिक्षा में सभी वर्गों की बराबरी की भी बात की जाती। शिक्षा आयोग के अनुसार''शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है– अवसर की समता प्रदान करना जिससे पिछड़े तथा दलित वर्ग के व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें। जो भी समाज सामाजिक न्याय (Social Justice) को अपना आदर्श मानता है और आम आदमी की हालत सुधारने तथा सारे शिक्षा पाने योग्य व्यक्तियों को शिक्षा देने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी ही होगी कि जनता के सब वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्राप्त होती जाये। एक समतामूलक तथा मानवता मूलक समाज जिसमें कमजोर का शोषण कम से कम हो, बनाने का यही एक सुनिश्चित साधन है।''

शिक्षा आयोग के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए समाज के सभी वर्गों की शिक्षा महत्वपूर्ण है किसी एक वर्ग–विशेष को छोड़कर हम राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना नही कर सकते।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा हमेशा से ही अन्य वर्गों के मुकाबले पिछड़ी हुई रही है। जिसके सुधार के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक प्रयत्न भी किये गये है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15–3, 46, 330, 332, 335, 338, 339, 340–1, 341–1, एवं 342–1 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक

उन्नति से सम्बन्धित है। इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के विकास से सम्बन्धित लगभग हर पक्ष का इसमें उल्लेख किया गया है।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति की शिक्षा में सुधार के लिए अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 वें संवैधानिक संशोधन सन् 2002 में पारित हुआ। इसके अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार (21–क) बन गया है तथा मूल कर्त्तव्यों के अन्तर्गत प्रत्येक अभिभावक का यह मौलिक कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51–ट) है कि वह अपने पाल्य को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए नजदीकी विद्यालय में भेजें। यह अधिकार अधिनियम 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा 16 फरवरी 2010 को जारी अधिसूचना के आधार पर 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण भारतवर्ष (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) में लागू हो गया।

बालक की शिक्षा में उसके अभिभावक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अभिभावक के अभाव में बालक की शिक्षा पिछड़ जाती है। वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार लागू हो चुका है जिसके कारण 6–14 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाया गया है। कानून अथवा अधिनियम की सफलता वहां के नागरिकों द्वारा इसकी स्वीकार्यता व सहयोग पर निर्भर करती है और नागरिकों का सहयोग व स्वीकारता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कानून अथवा अधिनियम का आमजन को क्या लाभ होगा। कानून अथवा अधिनियम की सफलता में नागरिकों की उसके प्रति अभिवृत्ति महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

अभिभावक की सकारात्मक अभिवृति का उसके बच्चे की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति उनके अभिभावकों की अभिवृति ज्ञात करना प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति पुरूष तथा महिला अभिभावकों की अभिवृति का अध्ययन करना।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावकों की अभिवृति का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

चन्द्र, निकेश (2011), ने ''प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रभावकारिता का अध्ययन '' विषय पर शोध कार्य किया। अपने अध्ययन में उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जो योजनाएँ चल रही है उनसे प्राथमिक शिक्षा में बालक–बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है तथा शिक्षकों का मानना है कि विद्यार्थियों की जो अध्ययन के दौरान समस्यायें होती है उनका हल इन संचालित योजनाओं के द्वारा हो जाता है।

डेका, बरनाली (2015), ने ''राईट टू एजुकेशन एण्ड द गर्ल चाईल्डः ए स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान इन दरंग डिस्टरिक्ट ऑफ आसाम'' विषय पर अध्ययन किया। अपने अध्ययन के निष्कर्षों की कढ़ी में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से शुरूआत की जिसमें न्यायालय ने नीजी तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के दाखिले की अनिवार्यता की बात कही है, अध्ययन में पाया गया कि इससे नीजी व सहायता प्राप्त विद्यालयों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके अतिरिक्त अध्ययन में यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि ''नो डिटेंसन पॉलिसी'' ने शिक्षा की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की दर काफी बढ़ी है। 65 प्रतिशत विद्यालयों में बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय नही है तथा शिक्षक और छात्र अनुपात भी कई जगहों पर 1:60 तक प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों के विद्यालयों में नामांकन में लिंग के आधार पर संख्या में काफी अन्तर पाया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग व विद्यालय प्रबंधन समितियों का भी शिक्षा व्यवस्था के सुधार में कोई सकारात्मक योगदान नही रहा तथा एक चौथाई विद्यालय ऐसे भी पाये गये जहां शिक्षण सहायक सामग्री का पूरी तरह से अभाव पाया गया।

अध्ययन की परिकल्पनायें

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति उनके पुरूष तथा महिला अभिभावकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नही है।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नही है।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन में शोध प्रारूप के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं को रखा गया है–

अध्ययन का सीमांकन

1. प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद के चकराता व कालसी विकासखण्डों को लिया गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा जनजाति की कक्षा–8 में पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावकों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति उनके अभिभावकों की केवल अभिवृति (Attitude) का अध्ययन किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन आदर्शमूलक सर्वेक्षण विधि (Survey Method) से किया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया। इस स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का निर्माण शोधकर्ता ने अपने शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग हे0न0ब0ग0वि0वि श्रीनगर के आचार्यों व विषय–विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर किया गया। अध्ययन में प्रयुक्त की गयी इस स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का निर्माण भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को आधार बनाकर किया गया।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति जानने के लिए 50 अभिभावकों (25 पुरूष तथा 25 महिलाएँ) का चयन किया गया। न्यादर्श का चुनाव उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि (Purposive Sampling Method) से किया गया।

सांख्यिकी

प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए मध्यमान (Mean), मानक विचलन (SD), व टी–टैस्ट (T-test) का प्रयोग किया गया।

परिकल्पनाओं का परीक्षण

H_0. 1

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति पुरूष तथा महिला अभिभावकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नही है।

तालिका संख्या–1

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति पुरूष तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति

Dimention	Gender	N	Mean	Std. Deviation	T	df	Sig. (2-tailed)
Access	Male	25	47.16	6.005	.538	48	.593
	Female	25	46.40	3.719			
Enrollment	Male	25	41.12	3.919	-2.341	48	.023*
	Female	25	43.80	4.173			
Retention	Male	25	40.40	4.805	-1.561	48	.125
	Female	25	42.32	3.838			
Equity	Male	25	48.68	7.448	-1.682	48	.099**
	Female	25	51.60	4.453			
Quality	Male	25	49.68	5.618	1.349	48	.184
	Female	25	47.48	5.910			

उपरोक्त तालिका संख्या 01 से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति पुरूष तथा महिला अभिभावकों की अभिवृति के लिए निर्धारित आयामों (पहुंच, नामांकन, ठहराव, समता व गुणवत्ता) के लिए सार्थकता मूल्य क्रमशः .593, .023, .125, .099 तथा .184 प्राप्त हुए है।

तालिका में आये इन सार्थकता मूल्यों में से केवल आयाम नामांकन (.023) को छोड़कर शेष सभी आयामों के लिए सार्थकता मूल्य सार्थकता के लिए निर्धारित स्तर .01 तथा .05 स्तर से अधिक प्राप्त हुए है। आयाम नामांकन का सार्थकता मूल्य .023 प्राप्त हुआ है जो सार्थकता के लिए निर्धारित स्तर .05 स्तर पर सार्थक है। अतः केवल आयाम नामांकन को छोड़कर अन्य सभी के लिए निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है जबकि आयाम नामांकन के लिए निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिला एवं पुरूष अभिभावकों की अभिवृति में आयाम नामांकन के सन्दर्भ में अन्तर है। महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति आयाम नामांकन के सन्दर्भ में पुरूष अभिभावकों से अधिक सकारात्मक है।

H_0. 2

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या–2

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावकों की अभिवृत्ति

Dimention	Category	N	Mean	Std. Deviation	t	df	Sig. (2-tailed)
Access	ST	31	46.71	4.873	-.127	48	.900
	SC	19	46.89	5.227			
Enrolment	ST	31	42.13	4.264	-.703	48	.485
	SC	19	43.00	4.230			
Retention	ST	31	40.65	4.616	-1.481	48	.145
	SC	19	42.53	3.893			
Equity	ST	31	50.65	7.209	.727	48	.471
	SC	19	49.32	4.308			
Quality	ST	31	47.97	4.983	-.950	48	.347
	SC	19	49.58	6.995			

उपरोक्त तालिका संख्या 02 से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावकों की अभिवृति के लिए निर्धारित आयामों (पहुंच, नामांकन, ठहराव, समता व गुणवत्ता) के लिए सार्थकता मूल्य क्रमशः .900, .485, .145, .471, व .347 प्राप्त हुए है।

ये सभी सार्थकता मूल्य सार्थकता के लिए निर्धारित स्तर .01 तथा .05 स्तर से अधिक प्राप्त हुए है। अतः अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावकों की अभिवृति के लिए निर्धारित की गयी शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावकों की अभिवृत्ति समान है।

परिणाम

1. अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति पुरूष तथा महिला अभिभावकों की अभिवृति आयाम नामांकन को छोड़कर शेष सभी आयामों पर समान है। आयाम नामांकन के सन्दर्भ में महिला अभिभावकों की अभिवृति आयाम नामांकन के संदर्भ में पुरूष अभिभावकों की तुलना में ज्यादा सकारात्मक है।
2. अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पुरूष तथा महिला अभिभावकों की अभिवृति समान है।

निष्कर्ष

अध्ययन के परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति पुरूष तथा महिला अभिभावकों की अभिवृति आयाम नामांकन को छोड़कर समान है। आयाम नामांकन के सन्दर्भ में महिला अभिभावकों की अभिवृति पुरूष अभिभावकों की तुलना में ज्यादा सकारात्मक है। बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावकों की अभिवृत्ति भी समान है।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति के अध्ययन में पुरूष अभिभावकों की अभिवृति महिला अभिभावकों की तुलना में कम पायी गयी। अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति पुरूष अभिभावकों की अभिवृत्ति ज्यादा सकारात्मक हो इसके लिए अनुकूल शैक्षिक सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए जिससे उनकी अभिवृति अनुकूल हो। अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति सकारात्मक अभिवृति का बालिकाओं की शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *चन्द्र, निकेश (2011), प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रभावकारिता का अध्ययन (छात्र, शिक्षकों एवं अभिभावकों के प्रत्यक्षण पर आधारित), पी–एच0 डी0 शोध प्रबंध (शिक्षाशास्त्र), महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली*
2. *डेका, बरनाली (2015), राईट टू एजुकेशन एण्ड द गर्ल चाईल्डः ए स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान इन दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, पी–एच0 डी0 थिसिस पॉलिटिकल सांइस, गोहाटी यूनिवर्सिटी*
3. *त्यागी, गुरसरनदास (2008), प्रारम्भिक शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, ISBN–81–7457–374–7, पेज न0– 95–97*
4. *रवि एवं नौटियाल, अनिल कुमार (जून 2017), शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, ह्यूमेनिटिज एण्ड सोसियल सांइसेजः इन्टरडिसिप्लीनेरी एपरोच, वोल्युम. 09, न. 01, पेज न. 91–94*
5. *सिंह, अरूण कुमार (2017), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतिलाल बनारसीदास दिल्ली, ISBN–978–81–208–2410–02, पेज न.101*
6. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009,' अधिसूचना', भारत का राजपत्र 'असाधारण' मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रजिस्ट्री सं0 डी0एल0–33004/99, नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010*